न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर उंटारी।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर नामांतरण अपील वाद सं० – 15/16–17 सहीदन बीबी वगैरह बनाम कुर्बान अंसारी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12-9-2017	**आदेश**	

अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अपीलार्थी के विश अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, धुरकी के नामांतरण वाद सं० 432/ 14–15 में दिनांक 02.01.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन–पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। जिसके लिए धारा 5 के तहत विलम्ब दूर करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विश अधिवक्ता को सूना। अपील आवेदन–पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।

अभय पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विश अधिकवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम गनियारीकला के खाता सं० 01, प्लॉट 1344, रकबा 0.41 एकड़ भूमि अपीलार्थीगण के पति हबीब अंसारी के द्वारा 15.03.1990 को सरोईया बीबी से क्रय किया गया है। जिसका नामांतरण वाद सं० 47/1993–94 के द्वारा नामांतरण होकर रसीद कटती है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण का शान्ति–पूर्ण दखल–कब्जा है। प्रत्यार्थी के द्वारा वर्ष 2014 किसी अन्य महिला सारा वीवी को सायरा वीवी बनाकर मेरे ही भूमि को खरीदकर अंचल अधिकारी से नामांतरण करा लिए। अंचल अधिकारी के द्वारा अन्य रैयत एवं फरीक को सूचना भी नहीं दी गई। अंचल अधिकारी के द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच–प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण की कार्रवाई की गई जो गलत है। सरोईया वीवी अपने हिस्से की भूमि मुस्लीम धर्म के अनुसार अपने जीवन काल मे पति के सम्पति में से बिक्री किए। जब उक्त खाते में अवशेष भूमि उनके हिस्से में पड़ा ही नहीं तो सारा वीवी उर्फ सायरा वीवी बनकर बिक्री किया गया। जिसे अंचल अधिकारी बिना स्थल निरीक्षण के ही नामांतरण कर दिया गया। जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, धुरकी द्वारा दिनांक 02.01.2015 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन–पत्र स्वीकृत की जाए।

प्रत्यार्थी के विश अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम– गनियारी कला के खाता सं० 01, प्लॉट 1344, रकबा 10.08 एकड़ भूमि का मांग तीन व्यक्तियों के नाम से चलता है। जिसमें प्रत्यार्थी के द्वारा मांगधारी क्रमांक (3) सायरा वीवी से केवाला सं० 1851 दिनांक 29.09.14 के द्वारा 0.36 3/16 एकड़ भूमि निबंधित दस्तावेज से किया गया है, जिसका नामांतरण अंचल अधिकारी के द्वारा 02.01.2015 को कर दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा यह आरोप है कि सायरा वीवी नाम की कोई महिला नहीं है। किसी अन्य महिला को खड़ा कराकर निबंधन कराया गया है। जो सरासर गलत है। अपीलार्थी के द्वारा क्रय की गई भूमि से विपक्षी/प्रत्यार्थी को कोई सरोकार नहीं है। प्रत्यार्थी के द्वारा क्रय की गई भूमि किससे क्रय किया गया है, वह देखने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। विक्रेता के द्वारा विक्री के उपरान्त भी भूमि अवशेष है। जिसका डिमाण्ड सम्मिलात चलता है। जिसका जॉच अंचल अधिकारी के स्तर से कराया गया है। जो नामांतरण वाद सं० 432/14–15 में संलग्न है। यदि प्रत्यार्थी फर्जी महिला को खड़ा कराकर भूमि क्रय किए है, तो उसके विरूद्ध अपीलार्थीगण को व्यवहार न्यायालय में अपील दायर करना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।

ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन–पत्र अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी का आदेश यथावत बहाल रखा जाए।

प्रत्यार्थी अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए है :–

(1) मूल केवाला की छायाप्रति।
(2) लगान रसीद की छायाप्रति।
(3) उतराधिकार ना–वाद सं0 258/88–89 एवं मांग पंजी की छाया प्रति।
(4) सीमांकन वाद सं0 29/15–16 की छायाप्रति।
(5) एकरारनामा की छायाप्रति।
(6) हाल सर्वे का खतियान की छायाप्रति।
(7) लगान रसीद की छायाप्रति।
(8) जमींदार द्वारा निर्गत पट्टा।

उभय पक्षों के विश अधिवक्ताओं के तर्को एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि का मॉग सम्मिलात चलता है। जिससे अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण की कार्रवाई की गई है। जबकि राजस्व कागजातों के अवलोकन से उतराधिकार नामांतरण वाद सं0 258/88–89 में तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा सम्मिलात सम्पति का बटवारा नामांतरण किया है। जिसका सम्पूर्ण रकबा 5.76 ½ एकड़ दर्शाया है। जिसमें दो हिस्सेदारों के बीच 2.88 ¼ एकड़ के अनुसार है। बटवारा नामा के अनुसार 2.88 ¼ एकड़ में दो आना हिस्सा सायरा वीवी को मिला है। दो आना हिस्सा 0.36 एकड़ लगभग है।

राजस्व कागजातों एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि 2.88 ¼ एकड़ में विक्रेता को मात्र 0.36 डी0 का हक प्राप्त है। जिसमें विक्रेता के द्वारा पूर्व में ही अपने हक की भूमि बिक्री कर दी गई है। पुनः विक्रेता के द्वारा सम्मिलात मॉग से 0.36 3/16 एकड़ की बिक्री वर्ष 2014 में कर दिया गया है। जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा सम्मिलात सम्पति मानते हुए नामांतरण की कार्रवाई की गई है। जबकि विक्रेता के पास भूमि अपने हिस्से मे नहीं था, जिसपर किसी भी फरीक को सूचना भी नहीं दी गई है। राजस्व अभिलेख में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, धुरकी द्वारा नामांतरण वाद सं0 432/14–15 में दिनांक 02.01.2015 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अचंल अधिकारी, धुरकी को भेजे।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त लेखापित एवं संशोधित।

21/9/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।

21/9/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।